UPHR010013372026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, हरदोई।

उपस्थितः रीता कौशिक, एच०जे०एस०

(J.O. Code U.P.5728)

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–576/2026

रामबाबू पुत्र छोटेलाल निवासी रमापुर थाना पाली जिला हरदोई।

----------आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार----------विपक्षी।

दिनांकः 10.03.2026

1– यह अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्त रामबाबू की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–312/2025 अन्तर्गत धारा–352,351(3),115(2),117(2),110 बी०एन०एस० थाना पाली जनपद हरदोई के प्रकरण में जमानत पर रिहा किये जाने की याचना सहित प्रस्तुत किया गया है।

2– जमानत प्रार्थनापत्र के समर्थन में आवेदक/अभियुक्त द्वारा स्वयं का शपथपत्र प्रस्तुत कर अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र में किये गये कथनों को सही व सत्य बताया है।

3– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा देवेन्द्र सिंह की ओर से थाना स्थानीय पर इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करायी गयी कि दिनांक 13/14.07.2025 को समय करीब रात 11.20 मिनट पर वादी मुकदमा के गांव के ही विपक्षी रामबाबू, निखिल, सत्यम एवं गौरव के द्वारा उसके पुत्र ज्ञानेन्द्र सिंह उर्फ अनुज सिंह, देवेन्द्र सिंह व सचिन को उसके दरवाजे पर आकर भद्दी भद्दी गालियां देने लगे। मना करने पर लाठी डण्डों से मारापीटा, जिससे उसके पुत्रों को गंभीर चोटें आयी हैं। जब वादी मुकदमा व अन्य लोग बचाने पहुंचने तो जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए।

4– आवेदक/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र पर बल देते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है। उसके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। उसे गांव की पार्टीबंदी व रंजिश की वजह से झूठा फंसाया गया है। आवेदक/अभियुक्त के दरवाजे पर दिनांक 13.07.2025 को समय 11.00 बजे रात में वादी मुकदमा के पुत्र योगेन्द्र, ज्ञानेन्द्र उर्फ अनुज, अनुराग व सचिन ने उसके पुत्र सौरभ के साथ मारपीट की और उसे गंभीर चोटें पहुंचायी, जिसका मुकदमा उसके पुत्र सौरभ ने दिनांक 14.07.2025 को अपराध सं० 313/2025 धारा 352,351(3),115(2) बी०एन०एस० में थाना पाली में अंकित करायी गयी। उसकी चोटों का चिकित्सीय परीक्षण सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सवायजपुर व एक्सरे जिला अस्पताल सीतापुर में कराया गया। उक्त वाद के कथित चोटहिल सचिन को मात्र तीन चोटें आना कहा गया है, जो साधारण प्रकृति की है। उसके पुत्र सौरभ के शरीर पर भी तीन चोटें पायी गयी हैं।

Digitally signed by REETA KAUSHIK
Date: 2026.03.11 10:40:29 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

प्रथम सूचना रिपोर्ट देरी से अंकित करायी गयी है, जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। उसका यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र है, अन्य कोई अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र न तो माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल है न ही विचाराधीन ही है। अतः उपरोक्त आधारों पर अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

5– विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र का घोर विरोध करते हुए आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किए जाने की याचना की गयी है।

6– अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र के निस्तारण हेतु मैंने आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा प्रस्तुत विद्वतापूर्ण तर्कों को सुना तथा केस डायरी का परिशीलन किया।

7– केस डायरी के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी मुकदमा द्वारा दी गयी सूचना के आधार पर आवेदक/अभियुक्त एवं तीन अन्य सह अभियुक्तगण के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या–312/2025, अन्तर्गत धारा–118(1),352,351(3) बी०एन०एस० के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी। चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण में धारा 118(1) बी०एन०एस० का लोप करते हुए धारा 110 बी०एन०एस० की वृद्धि की गयी है। चिकित्सक की राय के अनुसार चोटहिल ज्ञानेन्द्र सिंह उर्फ अनुज को आयी चोटें साधारण प्रकृति की हैं तथा चोटहिल सचिन कुमार सिंह के एक्सरे रिपोर्ट के अनुसार उसके Fracture of Nasal bone and undisplaced Hairline Fracture of Frontal bone of Skull of right side आना अंकित है। चिकित्सक की राय के अनुसार उक्त चोटें ठोस व कुंद आले की हैं तथा गंभीर प्रकृति की हैं, किन्तु चोट सं०–1 प्राण घातक नहीं है। **माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा Satender Kumar Antil v Central Bureau of Investigation & Ors. SLP (Crl) No. 5191 of 2021** में उद्धत सिद्धान्त के परिपेक्ष्य में पत्रावली के सम्यक् परिशीलन से प्रथम दृष्ट्या यह स्पष्ट हो रहा हैं कि प्रकरण में सम्बन्धित विवेचक द्वारा विवेचनोपरान्त आवेदक/अभियुक्त पर नोटिस अंतर्गत धारा–35(3) बी०एन०एस० तामील करने के उपरान्त आरोपपत्र तैयार किया जा चुका है। दौरान विवेचना आवेदक/अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं किया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा आवेदक/अभियुक्त के द्वारा विवेचना में सहयोग न किये जाने के सम्बन्ध में कोई आख्या प्रस्तुत नहीं की गयी है।

8– मामले के तथ्यों, परिस्थितियों, उपलब्ध साक्ष्य एवं अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए, मामले के गुणदोष पर कोई राय व्यक्त किये बिना, मेरी राय में आवेदक/अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने हेतु आधार पर्याप्त है। अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त रामबाबू की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र तदनुसार स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा मुबलिग **50,000/– (पचास हजार रूपये)** का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि की दो जमानतें सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि पर दाखिल किये जाने एवं निम्न शर्तों के अधीन अण्डरटेकिंग दाखिल करने पर आवेदक/अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाता है–

1. आवेदक/अभियुक्त प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अभियोजन के गवाहान आदि को किसी प्रकार से कोई धमकी अथवा लालच नहीं देगा। साथ ही किसी अन्य प्रकार से भी प्रभावित नहीं करेगा।
2. आवेदक/अभियुक्त न्यायालय की अनुमति के बिना भारत की सीमा के बाहर नहीं जाएगा और ऐसा कोई कृत्य नहीं करेगा, जिससे कि प्रश्नगत मामले पर किसी प्रकार का कोई कुप्रभाव पड़ता हो अथवा पड़ने की संभावना उत्पन्न होती हो।
3. आवेदक/अभियुक्त विवेचना/विचारण में सहयोग करेगा।

आवेदक/अभियुक्त द्वारा उपरोक्त शर्तों में से किसी भी एक शर्त का उल्लंघन किये जाने की दशा में अभियोजन पक्ष अग्रिम जमानत निरस्त कराने के लिए स्वतंत्र होगा।

(रीता कौशिक)

दिनांकः 10.03.2026

सत्र न्यायाधीश,

हरदोई।